(13)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 768–दो/2013, विरूद्ध आदेश दिनांक 22–01–2013 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बिजावर, जिला–छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक 16/अपील/2009–10

.....

मुन्नू वल्द शंकर कोरी
निवासी–नंदगाय खुर्द तह0 बिजावर
जिला–छतरपुर
..... आवेदक

विरूद्ध

1– विज्जू वल्द मनका चमार
2– पिरवा वल्द मनका चमार
3– लम्पुवा वल्द मनका चमार
निवासी–नंदगाय खुर्द तह0 बिजावर
जिला–छतरपुर
..... अनावेदकगण

.....

श्री आर0के0 जैन, अभिभाषक, आवेदक
श्री नितेन्द्र सिंघई, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/3/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बिजावर, जिला–छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–01–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि, ग्राम नंदगाय खुर्द में बंटन योग्य काबिल काश्त/चरनोई से काबिल काश्त घोषित भूमि का कुल रकबा 16.763 हैक्टयर जो पटवारी रिर्पोट अनुसार मौके पर काबिल काश्त है । भूमि आवंटन हेतु कुल 27 अनु0जाति/जनजाति के व्यक्तियों द्वारा आवेदन पत्र नियत प्रारूप पर नायब तहसीलदार देवरा के समक्ष पेश किये गये । नायब तहसीलदार देवरा द्वारा ग्राम पटवारी से भी आवेदकों के, ग्राम के निवासी होने व भूमि की

पात्रता के सम्बंध में रिर्पोट प्राप्त किये गये तथा जांच उपरांत, पांच पात्र आवेदन पत्र, मान्य किये गये तथा अपात्र आवेदन पत्रों को अमान्य किया गया। राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–3 की कंडिका 3 एवं म0प्र0 शासन राजस्व मंत्रालय भोपाल के परिपत्र दिनांक 02.03.2002 के निर्देशानुसार ग्राम नंदगाय खुर्द स्थित शासकीय का0का0 भूमि का बंटन प्राथमिकता क्रम के आधार पर भूमि का आवंटन दिनांक 30.06.2002 को नायब तहसीलदार देवरा द्वारा स्वीकृत किया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध में अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बिजावर के समक्ष अपील मय संहिता की धारा 5 पेश की गई । न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 16/अपील/2009–10 पंजीबद्ध किया गया एवं आदेश दिनांक 22.01.2013 को अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया गया । उक्त पारित आदेश दिनांक 22.01.2013 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये, जिसमें मुख्य रूप से यह बताया है कि, अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने के पूर्व यह सुनिश्चित करने में भूल की है कि अनावेदकगण विचारणीय न्यायालय में किसी तरह के कोई पक्षकार नहीं थे, उन्होंने हितबद्ध पक्षकार होने के नाते अपील प्रस्तुत करने की अनुमति मान्य विधिक प्रावधानों के अंतर्गत नहीं की और न ही ऐसा कोई आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया । अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रावधानों को अनदेखा करते हुये अनावेदकगण की अपील समय अवधि में मान्य करने में तथ्यात्मक भूल की है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो तथ्य अपील विलंब से प्रस्तुत करने के कारण दर्शाते हुए प्रकट किए गये थे, उन्हें प्रारंभिक रूप से अनावेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रमाणित नहीं किया, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपील समय अवधि में मान्य किए जाने में भूल की है । तर्क में यह भी कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारणीय न्यायालय का अभिलेख उपलब्ध था, जिसका अवलोकन आदेश पारित करने के पूर्व नहीं किया गया, जिसमें आवेदकगण के हक में उक्त भूमि का बंटन करने के पूर्व दिनांक 20.05.2002 को बंटन की उद्घोषणा विचारणीय न्यायालय द्वारा जारी की गई एवं दिनांक 06.06.02 को अंतिम रूप से भूमि बंटन की सूचना सूची सहित चस्पा की गई। इसके पश्चात दिनांक 25.06.02 को उद्घोषणा ग्राम पंचायत के सूचना पटल, ग्राम के चौपाल एवं ग्रामवासियों को दी गई । आवेदककर्ता जो कि भूमिहीन कृषक मजदूर है, उसे शासन के नियमानुसार भूमि पट्टे पर प्रदत्त की गई थी, जिसे उसने काफी श्रम एवं धन खर्च कर कृषि योग्य बनाया है । अंत में आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बिजावर द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बिजावर द्वारा पारित आदेश विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया। अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपनी अपील में स्पष्ट किया गया है कि वह भी उसी ग्राम के निवासी होकर अनुसूचित जाति से होकर भू–आवंटन की पात्रताधारी थे । यदि उक्त तथ्य सही है तो ऐसी स्थिति में भूमि आवंटन के समय तहसीलदार को उनके दावे पर भी विचार करना चाहिये था । इस बिन्दु का निराकरण अपील का गुणदोष पर निराकरण होने पर ही संभव है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदकों का समयसीमा/अपील पेश करने का आवेदन जो शपथपत्र से समर्थित था, को स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर